



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 705]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 5, 2016/आश्विन 13, 1938

No. 705]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 5, 2016/ASVINA 13, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2016

सा.का.नि.953(अ).—केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम जिनको केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 और 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना का प्रस्ताव करती है, भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 309 (अ), तारीख 16 मार्च, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में उनसे द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से जब प्रारूप नियमों से अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को तारीख 16 मार्च, 2016 को उपलब्ध करवाई गई थीं ;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 और 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (17वां संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन के पश्चात् 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्ररूप 22 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप 22

[नियम 47(1) (छ), 115, 124(2) और 127 देखिए]

प्रदूषण मानकों संघटक क्वालिटी के सुरक्षा मानकों और सड़क-योग्यता के अनुपालन का आरम्भिक प्रमाणपत्र

(विनिर्माता या ई-रिक्शा या ई-कार्ट की दशा में रजिस्ट्रीकृत ई-रिक्शा या ई-कार्ट संगम द्वारा जारी किया जाना)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित यान के उत्सर्जन मूल्य जिसके अंतर्गत द्रव्यमान उत्सर्जन सन्नियम भी हैं और ध्वनि मानक जिसके अंतर्गत ध्वनिस्तर भी है मोटर यान अधिनियम, 1988 और नीचे यथाविनिर्दिष्ट बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुपालन में होंगे।

1. यान का ब्रांड नाम:
2. चेसिस संख्यांक :
3. इंजन संख्यांक (बैट्री चालित यानों की दशा में मोटर संख्यांक :)
4. लागू उत्सर्जन सन्नियम :

[भारत स्टेज – 1/2/3/4/ भारत (ट्रम) स्टेज-3 आदि]

5. केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के अनुसार प्रकार अनुमोदन के दौरान उपरोक्त यान का प्राप्त किया गया माडल उत्सर्जन, हार्न का ध्वनिस्तर और उसके द्वारा की गई ध्वनि का स्तर नीचे दिया गया है।
6. उत्सर्जन मूल्य (नियम 115(2) में निर्दिष्ट)

(क) पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी /इलैक्ट्रिक-हाईब्रिड यानों के लिए

क्रम सं.	प्रदूषक	ग्राम/किलोमीटर या ग्राम/प्रतिघंटा किलोवाट में द्रव्यमान
1.	कार्बन मोनोआक्साइड, प्रतिशत	
2.	हाइड्रो कार्बन	
3.	गैर-मिथेन एचसी	
4.	एन ओ एक्स, यदि लागू हो	
5.	एच सी + एन ओ एक्स, यदि लागू हो	

(ख) डीजल यानों के लिए (घूम घनत्व)

क्रम सं.	प्रदूषक	ग्राम/किलोमीटर या ग्राम/प्रतिघंटा किलोवाट में द्रव्यमान
1.	कार्बन मोनोआक्साइड, प्रतिशत	
2.	हाइड्रो कार्बन	
3.	गैर-मिथेन एचसी	
4.	एन ओ एक्स, यदि लागू हो	
5.	एच सी + एन ओ एक्स, यदि लागू हो	
6.	पी एम	

(ii) ध्वनि स्तर (नियम 120 में निर्दिष्ट) :-

- (क) यान पर लगाए गए हार्न (कृषि ट्रेक्टरों और सन्निर्माण उपस्कर यानों से भिन्न सभी यानों के लिए)डीबी(ए)
 (ख) बायस्टेन्डरस स्थिति (कृषि ट्रेक्टरों और सन्निर्माण उपस्कर यानों से भिन्न सभी यानों के लिए)डीबी(ए)
 (ग) प्रचालक का श्रवण स्तर (कृषि ट्रेक्टरों और सन्निर्माण उपस्कर यानों के लिए) डीबी(ए)

(विनिर्माता या रजिस्ट्रीकृत ई-रिक्शा

या ई-कार्ट संगम के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

टिप्पण 1—यह प्ररूप सम्यक् रूप से मुद्रित विनिर्माता के हस्ताक्षर सहित, विनिर्माता की लिखावट और मुद्रा के अधीन स्याही से हस्ताक्षर की अनुलिपि लगाते हुए जारी किया जाएगा।

टिप्पण 2 :- ई-रिक्शा या ई-कार्ट की दशा में यह प्ररूप सम्यक् रूप से मुद्रित रजिस्ट्रीकृत ई-रिक्शा या ई-कार्ट ऐसोसिएशन के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की लिखावट और मुद्रा के अधीन स्याही से हस्ताक्षर की अनुलिपि लगाते हुए जारी किया जाएगा।

[सं. आरटी-11028/09/2015-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 903(अ) तारीख 23.09.2016 द्वारा उनका अन्तिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2016

G.S.R. 953(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 41 and 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 309 (E), dated 16th March 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from persons before expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 16th March, 2016;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 41 and 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (17th Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2017, after their final publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, for Form 22, the following Form shall be substituted, namely:-

“Form 22

[See rules 47 (1)(g), 115, 124(2) and 127]

INITIAL CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH POLLUTION STANDARDS,
SAFETY STANDARDS OF COMPONENTS QUALITY AND ROAD-WORTHINESS

(To be issued by the manufacturer or registered E-rickshaw or E-cart association in case of E-rickshaw or E-cart)

It is certified that the following vehicle complies with the emission values, including mass emission norms and noise standards including noise level under the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988, and the rules made thereunder as specified below:

1. Brand name of the vehicle:
2. Chassis number:
3. Engine number (motor number, in :
case of battery operated vehicles)

4. Emission norms applicable:

[Bharat Stage- IV / VI /Bharat (Trem) Stage-III/III A etc.]

5. The emission, sound level for horn and pass by noise values of the above vehicle model, obtained during Type Approval as per Central Motor Vehicle Rules, 1989 are given below:

- (i) Emission values [refer rule 115 (2)] :

(a) For Petrol/ CNG/LPG/ Electric -Hybrid vehicles

Sr. No.	Pollutant	Mass in gram/kilometer or gram/kilowatt per hour
(1)	(2)	(3)
1	Carbon Monoxide	
2	Hydro Carbon	
3	Non-Methane HC	
4	NOx, if applicable	
5	HC + NOx, if applicable	

(b) For diesel vehicles :

Sr. No.	Pollutant	Mass in gram/kilometer or gram/kilowatt per hour
(1)	(2)	(3)
1	Carbon Monoxide	
2	Hydro Carbon	
3	Non-Methane HC	
4	NOx, if applicable	
5	HC + NOx, if applicable	
6	PM	

(ii) Noise level (refer rules 119 and 120) :

- (a) horn (for all vehicles other than agricultural tractors and construction equipment vehicles) as installed on the vehicle: dB(A);
- (b) Bystander's position (for all vehicles other than agricultural tractors and construction equipment vehicles) dB(A);
- (c) Operator's ear level (for agricultural tractors and construction equipment vehicles)dB(A)

(Signature of manufacturer or of authorised signatory
of registered E-rickshaw or E-cart Association)

Note 1: This Form shall be issued with the signature of the manufacturer duly printed in the Form itself by affixing facsimile signature in ink under the hand and seal of the manufacturer.

Note 2: In the case of e-rickshaw or e-cart, this Form shall be issued with the signature of an authorized signatory of registered E-rickshaw or E-cart association duly printed in the Form itself by affixing facsimile signature in ink under the hand and seal of such signatory.

[No. RT-11028/09/2015-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 903(E) dated the 23rd September, 2016.